**संख्या-14/2022/466/60-1-22-1/13(58)/03**

**प्रेषक,**

**सुनील कुमार यादव,**
**अनु सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**महिला कल्याण,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

**महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1** **लखनऊ::दिनांक 02 जून, 2022**

**विषय:- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18/म0क0निदे0/निरा0म0पें0(लक्ष्य)/2022-23, दिनांक 12.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने के संबंध में है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं पेंशन दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-35984/60-1099/124/2020, दिनांक 23.11.2020 द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य को आपके अनुरोध के क्रम में जनपदवार विवरण के अनुसार अनुदान संख्या-49 (राजस्व) में 24,89,887, अनुदान संख्या-81 (राजस्व) में 11,104 तथा अनुदान संख्या-83 (राजस्व) में 9,09,009, इस प्रकार कुल 34,10,000 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

**भवदीय**

**(सुनील कुमार यादव)**
**अनु सचिव**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in